भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4238
उत्तर दिनांक 18/03/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी

4238. श्री सेल्वाराज वी.
श्री सुब्बारायन के.

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी फर्मों के लिए खोलने के लिए विधि का अधिनियमन करने के पश्चात् किसी घरेलू/विदेशी निजी कंपनी ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में अपनी रुचि व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) शांति अधिनियम, 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसे दिनांक 21 दिसंबर, 2025 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तथापि, वर्तमान में अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य प्रगतिशील है। इसलिए, शांति अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य पूर्ण होने के बाद ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र उद्यमियों की भागीदारी प्रभावी होगी। नाभिकीय क्षेत्र में विदेशी उद्यमियों की भागीदारी सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

*****